राजस्थान सरकार

कार्यालय जिला मजिस्ट्रेट, धौलपुर

क्रमांकः न्याय/कोरोना/2020/6342 दिनांक 06.08.2020

:: आदेश अन्तर्गत धारा 144 दण्ड प्रक्रिया संहिता ::

मुझे यह अवगत करवाया है कि **धौलपुर जिले की नगर परिषद् क्षेत्र धौलपुर के विभिन्न क्षेत्रों में** अधिक संख्या में नोवल कोरोना वायरस (COVID-19) का संक्रमण पाये जाने से उक्त क्षेत्र में कोरोना वायरस के अत्यधिक संक्रमण की संभावना होकर उक्त क्षेत्र तथा उसके आस पास के नागरिकों के स्वास्थ्य, मानव जीवन एवं लोक शांति को खतरा उत्पन्न हो सकता है।

उक्त परिस्थितियो से मेरा समाधान हो गया है एवं मैं संतुष्ट हूँ कि ऐसी स्थिति में प्रथम दृष्टया **धौलपुर जिले की नगर परिषद् क्षेत्र धौलपुर के विभिन्न क्षेत्रों में** निवासरत नागरिकों के स्वास्थ्य की सुरक्षा एवं लोक प्रशान्ति बनाये रखने की दृष्टि से दण्ड प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा 144 के तहत निषेधाज्ञा जारी की जावें।

अतः **मैं आर. के. जायसवाल जिला कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट, धौलपुर** नागरिकों के स्वास्थ्य की सुरक्षा एवं लोक प्रशांति बनाये रखने की दृष्टि से भारतीय दण्ड प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा 144 के अन्तर्गत **धौलपुर जिले की नगर परिषद् क्षेत्र धौलपुर के निम्न क्षेत्रों को जीरो मोबिलिटी** क्षेत्र घोषित करता हूँः-

1. **जगन चौराहा से हरदेव नगर नगरपालिका रोड तिराहा तक**
2. **जगन चौराहा से पुराना बाडी बस स्टैण्ड तक**
3. **जगन चौराहा से दशहरा रोड तलैया तक।**

मैं जिले के सभी नागरिकों को इस आदेश की पालना करने एवं अवहेलना नहीं करने के निर्देश देता हूँ। यदि कोई व्यक्ति उपर्युक्त प्रतिबन्धात्मक आदेशों का उल्लंघन करेगा तो वह भारतीय दण्ड संहिता की धारा 188, 269, 270 एवं **"The Rajasthan Epidemic Dieases Act, 1957"** एवं अन्य सु-संगत विधिक प्रावधानों के अन्तर्गत अभियोजित किया जा सकेगा।

चूँकि विद्यमान परिस्थितियों में इस आदेश की व्यक्तिशः पालना कराया जाना संभव नहीं है। अतः एक पक्षीय आदेश जारी किया जाकर सर्व साधारण की जानकारी हेतु धौलपुर जिले के **उपखण्ड धौलपुर की** सम्पूर्ण सीमा क्षेत्र में मुख्य-मुख्य स्थानों पर इस आदेश को चस्पा कर ध्वनि प्रसारण यंत्रो एवं समाचार पत्रों के माध्यम से प्रचार-प्रसार कर नागरिकों को सूचित किया जावे।

यह आदेश आज दिनांक 06.08.2020 को सांय 05:00 बजे से 10.08.2020 के सुबह 05:00 बजे तक प्रभावी रहेगा।

(आर. के जायसवाल)IAS
जिला मजिस्ट्रेट,
धौलपुर

Scanned with CamScanner

दिनांक :- 06.08.2020

क्रमांकः न्याय/कोरोना/2020/6342

प्रतिलिपि – निम्न को सूचनार्थ, पालनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है –

1. मुख्य सचिव महोदय, राजस्थान, जयपुर
2. अति0 मुख्य सचिव महोदय, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग, राज0, जयपुर
3. अति0 मुख्य सचिव महोदय, गृह विभाग, राजस्थान–जयपुर
4. संभागीय आयुक्त महोदय, भरतुपर
5. महानिरीक्षक, पुलिस रेंज, भरतपुर
6. समस्त जिला मजिस्ट्रेट, राजस्थान
7. जिला पुलिस अधीक्षक, धौलपुर
8. मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिला परिषद, धौलपुर
9. अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट धौलपुर
10. समस्त उपखण्ड मजिस्ट्रेट, जिला धौलपुर
11. अधीक्षण अभियन्ता सार्वजनिक निर्माण विभाग धौलपुर
12. उप रजिस्टर सहकारी समितियॉ धौलपुर/आयुक्त नगर परिषद धौलपुर
13. समस्त उप पुलिस अधीक्षक, जिला धौलपुर
14. समस्त जिला स्तरीय अधिकारी, जिला धौलपुर
15. मुख्य चिकित्सा एवं स्वा0 अधिकारी धौलपुर एवं प्रमुख चिकित्सा अधिकारी धौलपुर
16. समस्त तहसीलदार एवं कार्यपालक मजिस्ट्रेट, जिला–धौलपुर
17. समस्त विकास अधिकारी पंचायत समिति, जिला धौलपुर
18. सूचना एवं जन सम्पर्क अधिकारी धौलपुर को व्यापक प्रचार प्रसार हेतु।
19. आयुक्त, नगर परिषद, धौलपुर
20. अति0 निजी सचिव, जिला कलक्टर, धौलपुर
21. प्रभारी अधिकारी निगरानी दल,
22. प्रभारी आईसोलेशन/क्वारेन्टाइन, क्वारेन्टाइन सेन्टर्स
23. सम्बन्धित थानाधिकारी जिला धौलपुर
24. नोटिस बोर्ड, कार्यालय जिला कलक्टर/पुलिस अधीक्षक/समस्त उपखण्ड/समस्त तहसील

जिला मजिस्ट्रेट
धौलपुर

Scanned with CamScanner